

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- एफ.3(ग)ए.सी.पी. / 86 / अलेसे-11 / 21040-70

दिनांक:- 20/10/2015

कार्यालय आदेश संख्या117..... / 2015-16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)एफडी/रूल्स/2008/ दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.11(7)एफडी/रूल्स/पार्ट-1/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(88)एफडी(रूल्स)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 जिन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के पद का तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-बैंड 2(9300-34800) एवं ग्रेड-पे 5400/ स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	मेरिट क्रमांक	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री धन्नालाल जाट	589/86	15.11.1956	06.06.1988	06.06.2015
2	श्री जमील अहमद सोलंकी	404/86	15.09.1963	06.06.1988	06.06.2015
3	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	624/86	20.07.1961	12.07.1988	12.07.2015
4	श्री कैलाश चन्द्र पारीक	313/86	11.02.1960	20.06.1988	20.06.2015
5	श्री कानसिंह राजपुरोहित	667/86	01.05.1959	01.08.1988	01.08.2015
6	श्री सऊराम कुम्हार	643/86	10.07.1959	25.08.1988	25.08.2015
7	श्री शंकरलाल सोलंकी	598/86	01.07.1956	01.08.1988	01.08.2015
8	श्री श्यामसुन्दर	604/86	15.01.1959	12.07.1988	12.07.2015
9	श्री श्रीनिवास गुप्ता	577/86	03.05.1965	21.07.1988	21.07.2015
10	श्री सुलेमान	496/86	03.02.1960	21.07.1988	21.07.2015
11	श्री विजयेन्द्र सिंह कुशवाह	640/86	17.09.1957	04.06.1988	04.06.2015
12	श्री विष्णु कुमार शर्मा	592/86	02.09.1959	30.07.1988	30.07.2015
13	श्री योगेश कुमार व्यास	590/86	09.12.1960	05.07.1988	05.07.2015
14	श्री रघुनाथ प्रसाद नेहरा	621/86	29.08.1960	18.06.1988	18.06.2015

उपरोक्त कार्मिकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(88)एफडी / (रूल्स)/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र की प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 3, 8, 12 एवं 14 को छोड़कर शेष सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी गत 9 वर्षों की अवधि में से 7 वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र एवं सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधन किया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(रूल्स) 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4800 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पूर्व में इनकी तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है, तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष तक इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है, इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं इन्हें गत 7 वर्षों से नियमित रूप से नियमानुसार वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में की जावे।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3(ग)ए.सी.पी./86/अलेसे-॥/ 21040-70

दिनांक:- 20/10/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/ गार्ड फाईल/ गोपनीय अनुभाग/ कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।



(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-॥)